भारत सरकार

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 80

25.11.2024 को उत्तर के लिए

बाघों की संख्या में वृद्धि

80. श्री सुधीर गुप्ताः

श्री धैर्यशील संभाजीराव माणेः

क्या **पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या देश में बाघों की संख्या में पिछले कुछ वर्षों के दौरान उल्लेखनीय वृद्धि हुई है;

(ख) यदि हां, तो पिछले तीन वर्षों के दौरान बाघों की कुल संख्या में राज्य-वार कितनी वृद्धि हुई है;

(ग) क्या देश में बाघों की बढ़ती आबादी के कारण मानव-बाघ संघर्ष की घटनाएँ बढ़ी हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार ने देश में मानव-बाघ संघर्ष को रोकने के लिए कोई उपाय किए हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या देश में बाघों की संख्या में वृद्धि के साथ-साथ बाघों के अवैध शिकार के मामले भी बढ़ रहे हैं; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और पिछले तीन वर्षों के दौरान राज्य-वार कितने बाघों की मौत हुई है?

उत्तर

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन राज्य मंत्री
(श्री कीर्तवर्धन सिंह)

(क) और (ख) वर्ष 2018 की अनुमानित संख्या 2967 (रेंज 2603-3346) और वर्ष 2014 की अनुमानित संख्या 2226 (रेंज 1945-2491) की तुलना में 3682 (रेंज 3167-3925) अनुमानित संख्या के साथ वर्ष 2022 में किए गए अखिल भारतीय बाघ अनुमान के अनुसार बाघों की संख्या में वृद्धि हुई है। नियमित रूप से सैंपल लिए गए क्षेत्रों की तुलना करने पर स्पष्ट होता है कि भारत में बाघों की आबादी 6% प्रति वर्ष की दर से बढ़ रही है। वर्ष 2006, 2010, 2014, 2018 और 2022 के लिए देश में बाघ परिदृश्यों से संबंधित बाघ अनुमान का विवरण **अनुलग्नक-I** में दिया गया है।

(ग) और (घ) भारत सरकार ने राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण के माध्यम से मानव-वन्यजीव नकारात्मक पारस्परिक-क्रिया के प्रबंधन के लिए निम्नलिखित तीन-आयामी रणनीति का समर्थन किया है :-

(i) सामग्री और रसद संबंधी सहायता: बाघ परियोजना की वर्तमान केंद्रीय प्रायोजित स्कीम के माध्यम से बाघ अभयारण्यों को अपने स्रोत क्षेत्रों से बाहर जाने वाले बाघों से निपटने के लिए

अवसंरचना और सामग्री के संदर्भ में क्षमता प्राप्त करने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। बाघ अभयारण्यों द्वारा हर वर्ष एक वार्षिक संचालन योजना (एपीओ) के माध्यम से इसकी मांग की जाती है, जो वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 की धारा 38फ के तहत अधिदेशित व्यापक बाघ संरक्षण योजना (टीसीपी) से उत्पन्न होती है। अन्य बातों के साथ-साथ, अनुग्रह राशि और क्षतिपूर्ति का भुगतान, मानव-पशु संघर्ष के बारे में आम जनता को संवेदनशील बनाने, उनका मार्गदर्शन करने और उन्हें सलाह देने के लिए समय-समय पर जागरूकता अभियान, मीडिया के विभिन्न रूपों के माध्यम से सूचना का प्रसार, काबू करने के उपकरण, दवाओं की खरीद, संघर्ष की घटनाओं से निपटने के लिए वन कर्मचारियों का प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण जैसी गतिविधियों के लिए आम तौर पर वित्तीय सहायता की मांग की जाती हैं।

(ii) **आवास हस्तक्षेपों को प्रतिबंधित करना:** बाघ अभयारण्य में बाघों की वहन क्षमता के आधार पर, एक व्यापक टीसीपी के माध्यम से आवास हस्तक्षेपों को प्रतिबंधित किया जाता है। यदि बाघों की संख्या वहन क्षमता के स्तर पर है, तो यह सलाह दी जाती है कि आवास हस्तक्षेपों को सीमित किया जाना चाहिए ताकि बाघों सहित वन्यजीवों का अत्यधिक फैलाव न हो, जिससे मानव-पशु संघर्ष कम से कम हो। इसके अलावा, बाघ अभयारण्यों के आसपास के बफर क्षेत्रों में, आवास हस्तक्षेपों को इस तरह से प्रतिबंधित किया जाता है कि अन्य समृद्ध आवास क्षेत्रों में बाघों एवं अन्य वन्यजीवों के फैलाव की सुविधा के लिए पर्याप्त रूप से विवेकपूर्ण रखते हुए मुख्य/महत्वपूर्ण बाघ आवास क्षेत्रों की तुलना में इष्टतम से कम हो।

(iii) **मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी):** राष्ट्रीय व्याघ्र संरक्षण प्राधिकरण ने मानव-पशु संघर्ष से निपटने के लिए निम्नलिखित तीन एसओपी जारी किए हैं, जो सार्वजनिक डोमेन में उपलब्ध हैं:

i. मानव बहुल भू-भागों में बाघों के भटकने के कारण उत्पन्न होने वाली आपात स्थितियों से निपटने के लिए
ii. पशुधन पर बाघों के हमले से निपटने के लिए
iii. भूदृश्य स्तर पर स्रोत क्षेत्रों से बाघों के पुनर्वास के लिए सक्रिय प्रबंधन के लिए

तीन एसओपी में अन्य बातों के साथ-साथ संघर्ष को कम करने के लिए बाघों के भटकने एवं पशुधन की हत्या का प्रबंधन साथ ही बाघों को स्रोत क्षेत्रों से ऐसे क्षेत्रों में स्थानांतरित करना शामिल है, जहां बाघों की संख्या कम है, ताकि बाघों की अधिक संख्या वाले स्रोत क्षेत्रों में संघर्ष न हो।

इसके अलावा, बाघ संरक्षण योजनाओं के अनुसार, वन्यजीव आवास की गुणवत्ता में सुधार के लिए बाघ रिजर्वों द्वारा आवश्यकता आधारित और क्षेत्र-विशिष्ट प्रबंधन हस्तक्षेप किए जाते हैं और इन गतिविधियों के लिए वित्त पोषण सहायता वन्यजीव पर्यावासों के एकीकृत विकास की चालू केंद्रीय प्रायोजित योजना के बाघ परियोजना घटक के तहत प्रदान की जाती है।

(ङ) और (च) राज्यों द्वारा दी गई सूचना के अनुसार, पिछले तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान पुष्टिकृत अप्राकृतिक कारणों (अवैध शिकार, जब्ती और अवैध शिकार के इतर अप्राकृतिक कारणों) से मारे गए बाघों का ब्यौरा **अनुलग्नक-II** में दिया गया है।

*****

अनुलग्नक-I

'बाघों की संख्या में वृद्धि' के संबंध में दिनांक 25.11.2024 को उत्तर देने के लिए पूछे गए लोक सभा के अतारांकित प्रश्न संख्या 80 के भाग (क) एवं (ख) के उत्तर में उल्लिखित अनुलग्नक

वर्ष 2006, 2010, 2014, 2018 और 2022 के लिए देश में बाघ भूदृश्यों से संबंधित बाघ आकलन का विवरण (अखिल भारतीय बाघ आकलन रिपोर्ट के अनुसार)

राज्य	**बाघों की संख्या**				
	2006	**2010**	**2014**	**2018**	**2022**
शिवालिक-गंगेय मैदानी भूदृश्य परिसर					
उत्तराखंड	178	227	340	442	560
उत्तर प्रदेश	109	118	117	173	205
बिहार	10	8	28	31	54
शिवालिक गंगेय	**297**	**353**	**485**	**646**	**819**
मध्य भारतीय भूदृश्य परिसर और पूर्वी घाट भूदृश्य परिसर					
आंध्र प्रदेश	95	72	68	48	63
तेलंगाना	-	-	-	26	21
छत्तीसगढ	26	26	46	19	17
मध्य प्रदेश	300	257	308	526	785
महाराष्ट्र	103	169	190	312	444
ओडिशा	45	32	28	28	20
राजस्थान	32	36	45	69	88
झारखंड	-	10	3	5	1
मध्य भारत	**601**	**601**	**688**	**1033**	**1439**
पश्चिमी घाट भूदृश्य परिसर					
कर्नाटक	290	300	406	524	563
केरल	46	71	136	190	213
तमिलनाडु	76	163	229	264	306
गोवा	-	-	5	3	5
पश्चिमी घाट	**412**	**534**	**776**	**981**	**1087**
उत्तर पूर्वी पहाड़ियाँ और ब्रह्मपुत्र बाढ़ के मैदान					
असम	70	143	167	190	229
अरुणाचल प्रदेश	14	-	28	29	9
मिजोरम	6	5	3	0	0
नागालैंड	-	-	-	0	0
उत्तरी पश्चिम बंगाल	10	-	3	0	2
उत्तर पूर्वी पहाड़ियाँ, और ब्रह्मपुत्र	**100**	**148**	**201**	**219**	**236**
सुंदरबन	-	70	76	88	101
कुल	**1411**	**1706**	**2226**	**2967**	**3682**

*****

अनुलग्नक-II

'बाघों की संख्या में वृद्धि' के संबंध में दिनांक 25.11.2024 को उत्तर के लिए पूछे गए लोक सभा के अतारांकित प्रश्न संख्या 80 के भाग (ङ) और (च) के उत्तर में संदर्भित अनुलग्नक

पिछले तीन वर्षों और वर्तमान वर्ष के दौरान पुष्टिकृत अप्राकृतिक कारणों (अवैध शिकार, जब्ती और अवैध शिकार से इतर अप्राकृतिक कारणों) से मारे गए बाघों का राज्य-वार ब्यौरा

राज्य	2021			2022			2023			2024 (दिनांक 20.11.2024 की स्थिति के अनुसार)		
	पी	एस	यूएनपी	पी	एस	यूएनपी	पी	एस	यूएनपी	पी	एस	यूएनपी
आंध्र प्रदेश	-	-	1	2	-	-	1	-	-	-	-	-
अरुणाचल प्रदेश	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
असम	-	-	-	-	-	2	-	3	-	-	-	-
बिहार	-	-	-	-	-	1	1	1	-	-	-	-
छत्तीसगढ	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
दिल्ली	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
गोवा	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
गुजरात	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
हरियाणा	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
झारखंड	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
कर्नाटक	-	-	1	3	-	-	-	-	-	-	-	-
केरल	-	-	-	-	-	3	1	-	1	-	-	-
मध्य प्रदेश	3	-	1	5	1	1	5	-	3	1	-	-
महाराष्ट्र	5	-	2	2	-	2	1	-	3	-	-	-
नगालैंड	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ओडिशा	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
राजस्थान	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
तमिलनाडु	-	-	1	-	-	1	2	-	1	-	-	-
तेलंगाना	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
उत्तर प्रदेश	-	1	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
उत्तराखंड	-	-	1	-	-	1	1	-	1	-	-	-
पश्चिम बंगाल	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
कुल	**8**	**1**	**11**	**12**	**2**	**11**	**12**	**4**	**9**	**1**	**0**	**0**

पी - अवैध शिकार

एस - जब्ती

यूएनपी -अवैध शिकार के इतर अप्राकृतिक कारण

*****